उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : *www.ukmssb.org*, Phone: *0135 2665366*

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0(आर्यु0यू0चिकि0) / 08 / 2020–21 / 265 दिनांक 26 अप्रैल, 2022

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित) पदों पर प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु दिशा निर्देशः–

I. बोर्ड द्वारा प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता क्रम में श्रेणीवार तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमत्रित किया जायेगा।

II. प्रारम्भिक परीक्षा में National Commission for Indian system of Medicine द्वारा नवीनतम जारी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न–पत्र का निर्धारण किया जायेगा।

III. लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में सही उत्तर का 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

IV. प्रश्न पत्र पुस्तिका में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में प्रश्न और विकल्प दिये होंगे।

V. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

VI. लिखित परीक्षा के ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल एवं द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रुप से जमा करेंगे।

VII. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड–** वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, जो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(घ) ओ.एम.आर. शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना / छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उन्हे उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगी।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नम्बर अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मुल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

–ःअति महत्त्वपूर्ण निर्देशः–

I. प्रारम्भिक परीक्षा के अंको को चयन हेतु आगणित नहीं किया जायेगा क्योंकि प्रारम्भिक परीक्षा मात्र अभ्यर्थियों की छटनी हेतु की जाती है। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने हेतु धारित नहीं की जायेगी।

II. यदि कोई अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा में अनुपस्थित/नहीं सम्मिलित होता है तो उन्हे चिकित्सा अधिकारी (आर्युवेद) साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

III. **अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।**

IV. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

V. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित–** परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा ओर न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

VI. **परीक्षा भवन में आचरणः–** कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (ओ0एम0आर0) की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जायेगा एवं उनके विरुद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

VII. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यार्थियों के विरुद्व कार्यवाही–** अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षा के उपरान्त चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

VIII. आवेदित पद पर अन्तिम रुप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐंसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

IX. **अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा–**

i. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रुप से परितोषाण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या

ii. परीक्षा में दुर्व्यवहार करना, कक्ष से भाग जाना, परीक्षा देन वालों को परीक्षा का बहिष्कार करनें के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या

iii. परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या

iv. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसेः–

a. बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा

b. उसे स्थायी रुप से अथवा एक विशेष अवधि के लिएः–

(1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,

(2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,

c. यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक किः–

(1) अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

परीक्षा कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमाकं सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों के द्वारा प्रदान की जायेगी।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित) पदों पर प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के परीक्षा केन्द्र के चयन की प्रक्रिया हेतु निर्देश

- परीक्षा केन्द्र का चयन मात्र चिकित्सा अधिकारी (आर्युवेद), पदकोड–101, पर ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किया जायेगा।
- **चिकित्सा अधिकारी (आर्युवेद), पदकोड–101, की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा दिनांक 29 मई 2022 (रविवार) को आयोजित की जानी प्रस्तावित है।**
- लिखित परीक्षा हेतु राज्य के दो शहरों देहादून तथा हल्द्वानी में से एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य है।
- सर्वप्रथम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **www.ukmssb.org** में दाहिने ओर **Apply Now** पर क्लिक करें। अन्य टैब में लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल प्रस्तुत होगा। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि ब्राउजर में **Pop-Up block** ना किया गया हो।
- जब लिंक **Open** हो जाये कृपया MEDICAL OFFICER (AYURVED AND UNANI) EXAMINATION-2022 Tab पर क्लिक करें।
- कृपया रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड अंकित करें। (रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई ई–मेल तथा मोबाइल नंबर पर भेजा गया है)
- **Select Your Examination Center Tab** पर क्लिक करें।
- सभी निर्देशों को भली–भांति पढ़कर परीक्षा केन्द्र के विकल्प का चयन करें।
- चयन करने के उपरान्त **"Submit"** पर क्लिक करें।

–ःसामान्य निर्देशः–

- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्र का चयन करने से पूर्व सभी निर्देशों को पढ़ लें।
- किसी भी दशा में एक बार परीक्षा केन्द्र के चयन के उपरान्त परीक्षा केन्द्र के विकल्प में परिवर्तन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश परीक्षा केन्द्र का विकल्प का चुनाव नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा स्वतः हीं देहरादून परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र चयन की समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। बोर्ड किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- परीक्षा केन्द्रों का चयन **दिनांक 27 अप्रैल, 2022 से 02 मई, 2022 (सांय 05.00 बजे तक)** तक ही किया जा सकता है। इसके उपरान्त किसी भी माध्यम से परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अभ्यर्थी द्वारा **www.ukmssb.org** के माध्यम से ही किया जायेगा, अन्य किसी माध्यम से परीक्षा केन्द्र का निर्धारण नहीं किया जायेगा। **एक बार परीक्षा केन्द्र का अन्तिम रुप से चयन करने के उपरान्त किसी भी कारण से परीक्षा केन्द्र में बदलाव नहीं किया जायेगा।**
- **दिनांक 02 मई, 2022 (सांय 05.00 बजे तक)** के उपरान्त परीक्षा केन्द्र में बदलाव हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, ना ही किसी दावे पर विचार किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा से सम्बन्धित जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **www.ukmssb.org** का समय–समय पर अवलोकन करें।

नोटः– चिकित्साधिकारी (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) परीक्षा के शेष पदों, चिकित्साधिकारी (यूनानी), चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) एवं प्रबन्धक स्टेट फार्मेसी, पर मात्र साक्षात्कार परीक्षा की जायेगी। साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन माह जून–जुलाई 2022 में प्रस्तावित है। परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम हेतु समय–समय पर बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट का अवलोकन करते रहें।

SD/-
(गरिमा रौंकली)
सचिव